समरी नंबर 16103/2026

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 15/05/26 को पारित किया।)

1— आरोपी व्दारा अपना अपराध स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया गया है, तदानुसार उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाना आवश्यक नही है।

2— तदनुसार आरोपी को धारा **185 एम.वी.एक्ट** के अधीन दोपसिद्ध ठहराया जाता है।

3— आरोपी को धारा 185 एम वी एक्ट में 10,000/—रू अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

4— अभियुक्त व्दारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में उसे कमशः 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

5— प्रकरण मे जप्त शुदा वाहन कमांक MP09XF4875 के पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावे/पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है, उक्त सुपुर्दगीनामा उसी के पक्ष में निरंक समझा जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावें।

निर्णय हस्ताक्षरित एंव दिनांकित कर खुले न्यायालय मे उदघोपित किया।

मेरे बोलने पर निर्णय टंकित किया गया।

हर्षवर्धन राठौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इंदौर म.प्र.

हर्षवर्धन राठौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर म.प्र.